फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कानसिंह चौहान पिता श्री डाऊसिंह चौहान ग्राम मु. पो. सेमलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 88/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील 88/2024/6053 दिनांक 25.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र कार्यालय जिला परिषद्, राजसमन्द के पत्रांक 158 दिनांक 05.08.2024 से जरिये डाक दिनांक 06.08.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के सतर्कता अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को पत्रांक 4081 दिनांक 08.08.2024 से ईप्सित सूचना उपलब्ध कराने बाबत् प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 1662 दिनांक 08.08.2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध अभिलेख अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 6051 दिनांक 24.10.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना (उक्त सूचना के पृष्ठ 36 है।) जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को प्रेषित कि गई। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गई है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय	

न्यायालय जिला कलक्टर

के पत्रांक 6051 दिनांक 24.10.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को भिजवा दी गई हैं। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील खारीज की जाती है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

5/11/24

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)